Alexian Brothers Health System, d/b/a Ascension Illinois affiliates

तित िंग ि िसू ी नीति

June 1, 2023

नीति/तसद्ा
िंि

यह Alexian Brothers Health System, d/b/a Ascension Illinois affiliates ("सांगठि") की िीलत है लक वे सांगठि िेें इसकी लवत्तीय सहायता िीलत (या "FAP") के अिुसार आपातकािीि और लचलकत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखिाि प्रदाि करिे हेतु सािालिक रूप से न्यायोलचत कायचप्रणािी सुलिलित करेंगे। यह लबलिंग व वसूिी िीलत लविेष रूप से उि िरीजों के लिए लबलिंग और वसूिी प्रथाओं को सांबोलधत करिे के लिए बिाई गई है, लिन्हें लवत्तीय सहायता की जरूरत होती है और िो सांगठि िेें देखिाि प्राप्त करते हैं।

सारी लबलिंग और वसूिी प्रथाएँ व्यक्तिगत िािव गररिा और सबकी ििाई के प्रलत हिारी प्रलतबद्धता और आदर, गरीबी िें रहिे वािे िोगों और अन्य किज़ोर व्यक्तियों के लिए हिारी लविेष लचांता और एकिुटता, और लवतरणात्मक न्याय और िेतृत्व के प्रलत हिारी प्रलतबद्धता को दिाचएगी। सांगठि के किचचारी और एिेंट इस ढांग से व्यवहार करेंगे,
िो कैथोलिक-प्रायोलित िि लसलिटी की िीलतयों और िूल्यों को दिाचता हो, लििें िािलि हैं िरीजों और उिके पररवारों के साथ आदर, सम्माि और सहािुिूलत से व्यवहार करिा।

यह लबलिंग व वसूिी िीलत सांगठि द्वारा प्रदत्त सिी आपातकािीि और लचलकत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखिाि पर िागू होती है, लिसिें प्रयुि लचलकत्सा सेवाएं और व्यवहारात्मक स्वास्थ्य िािलि है। यह लबलिंग व वसूिी िीलत ऐसी देखिाि के िुगताि प्रबांधि पर िागू िहीं होती िो "आपातकािीि" िहीं है और "लचलकत्सीय रूप से आवश्यक देखिाि" िहीं है (िैसा लक सांगठि के FAP िेें उि िब्दों को पररिालषत लकया गया है)।

पररभाषाएि

1. "**501(r)**" का अथच आांतररक रािस्व सांलहता की धारा 501(r) और उसके अधीि प्रकालित लकए गए लियि।

2. "**असािारण िसू ी कार्रवाईयाँ**" **या** "**ECAs**" का िितिब लिम्न िें से लकसी िी वसूिी गलतलवलधयों से है, िो 501(r) के अांतगचत प्रलतबांधों के अधीि हैं:
   a. लकसी िरीज के ऋण को लकसी और पक्ष को बेचिा, िब तक लक खरीदार कुछ प्रलतबांधों के अधीि ि हो, िैसा लक िीचे वणचि लकया गया है।

   b. िरीज के बारे िें प्रलतकूि िािकारी उपिोिा िेलडट की सूचिा देिे वािी एिेंलसयों अथवा िेलडट लविागों को देिा।

c. FAP के अ◌ा◌ंतगचत ि◌◌ालि◌ि की गई देखिा◌ि प्रदा◌ि करि से पहिे के एक अथवा अलधक प्रदाताओं का रोगी द्वारा ि◌◌ुगता◌ि ि◌ लकए ि◌◌ाि◌◌े के कारण, लचलकत्सीय रूप से ि◌रूरी देखिा◌ि प्रदा◌ि को टा◌ि◌ि◌◌ा अथवा अस्वीकार करिा, अथवा प्रदा◌ि करि से पहिे ि◌◌ुगता◌ि की ि◌◌ा◌ा◌ंग करिा।

d. कारचवाईयां, ोो काोूोो अथवा न्यालयक प्रलिया के लिए आवश्यक हैं, लकसी लदवालिएपि अथवा लिोो चोट सांबांधी प्रलिया ोेेें दायर लकए दावों को छोड़कर। इि कारच वाईयों ोेेें ोालिि हैं, ोेलकि इि तक सीलित िहीां हैं,
   i. िरीज की ोायदाद पर अलधकार ोताोा,
   ii. िरीज की ोायदाद पर कब्जा करिा,
   iii. रीज के बैंक खाते अथवा अन्य लिोो ोायदाद से उगाही करिा अथवा लकसी अन्य प्रकार से उसे लिोाोा या उस पर कब्जा करिा,
   iv. िरीज केक्तखिाि लसलवि कारचवाई करिा, और
   v. िरीज केवेति को रोकिा।

ECA लिम्न ोेें से लकसी ोेें ोालिि िहीां है (चाहे ECA केलिए ोापदांड लकसी अन्य प्रकार से अितौर पर पूरा होता हो, ोैसा लक ऊपर बताया गया है):

a. िरीज के ऋण की लबिी यलद, लबिी से पहिे, ऋण के खरीदार के साथ काोूोो रूप से बाध्य लिक्तखत इकरारिाोा ोोोोूद हो, लिसके
   i. ोुतालबक खरीदार को देखिाि के लिए ोुगताि प्राप्त करिे से पहिे लकसी ोो ECA ोेें ोुड़िे से रोका गया है;
   ii. खरीदार को ऋण बेचे ोोाोे के सिय आांतररक राोस्व सांलहता की धारा 6621(a)(2) के अोांतगचत प्रिावी दर से ऋण पर ब्याि वसूि करिे से रोका गया है (अथवा ोोलटस अथवा इांटरिि रेवेन्यु बुोेलटि ोेें प्रकालित अन्य ोागचदिचि द्वारा ऐसी अन्य तय दर);
   iii. ऋण सांगठि और खरीदार द्वारा यह लिधाचररत करिे पर लक िरीज लवत्तीय सहायता के लिए पात्र है, तो ऋण सांगठि द्वारा ोोटाोे योग्य अथवा वापस करिे योग्य है; और
   iv. खरीदार के लिए इकरारिाोे की दी गई प्रलियाओां का पाोि करिा आवश्यक है, ोोो यह सुलिलित करती हैं लक यलद िरीज लवत्तीय सहायता के लिए पात्र है और ऋण सांगठि को ोोटाया या सांगठि द्वारा वापस िहीां लकया ोाता है तो िरीज खरीदार और सांगठि को उससे अलधक ोुगताि िहीां करता, और उसकी ोुगताि करिे की लिम्मेदारी िहीां है, ोो वह FAP के ोुतालबक ोुगताि करिे केलिए लिोो रूप से लिम्मेदार है;

b. कोई ोो अलधकार, लिसके लिए सांगठि को राज्य काोूि के अोांतगचत उि लिोो चोटों, लििके लिए सांगठि िे देखिाि प्रदाि की है, केपररणािस्वरूप रोगी केलिए ोैसिे, लिपटारे, अथवा सिझौते की प्राक्तप्त पर अलधकार ोताोे; अथवा

c. लकसी ोो लदवालिएपि की कारचवाई ोेें दावा दायर करिे का अलधकार है।

3. “**FAP**” का ोतिब सांगठि की लवत्तीय सहायता ोोलत है, ोो सांगठि की सहायता ोेें और Ascension हेल्थ केलिोि और 501(r) केअिुपाोि ोेें पात्र िरीजों केलिए लवत्तीय सहायता प्रदाि करिे की ोोलत है।

4. “**FAP आिेदन**” का िितब है लवत्तीय सहायता केलिए आवेदि।

5. “**तित्तीय सहायिा**” का िितब है वह सहायता, ििो सांगठि िरीज को सांगठि की FAP केअिुसरण िििें प्रदाि कर सकता है।

6. "**सिंगठन**" का िितिब Alexian Brothers Health System, d/b/a Ascension Illinois affiliates। अलतरिर िािकारी का लिवेदि करिे, सवाि अथवा लटप्पलणयां प्रस्तुत करिे, अथवा अपीि प्रस्तुत करिे के लिए, आप िीचे सूचीबद्ध कायाचिय से या आपको सांगठि से प्राप्त होिे वािे लकसी िागू िोलटस अथवा पत्राचार िें सूचीबद्ध लकए पते पर संपकच कर सकते हैं:

By phone at 833-272-7585 for these facilities:

Alexian Brothers Behavioral Health Hospital
Alexian Brothers Medical Center
St. Alexius Medical Center

For employed medical group practices affiliated with the above facilities, call: 844-930-0461 or 844-930-0463 (cardiology)

By phone at 833-272-7581 for these facilities:

Presence Holy Family Medical Centers
Presence Mercy Medical Center
Presence Resurrection Medical Center
Presence Saint Francis Hospital
Presence Saint Joseph Hospital - Chicago
Presence Saint Joseph Hospital - Elgin
Presence Saint Joseph Medical Center
Presence Saint Mary of Nazareth Hospital
Presence Saint Elizabeth Hospital
Presence St. Mary's Hospital

For employed medical group practices affiliated with the above facilities, call: 833-291-0464

By mail:

Alexian Brothers Health System, d/b/a Ascension Illinois affiliates
PO Box 74008855
Chicago, IL 60674-8855

7. "**मरीज़**" का िितिब है सांगठि से देखिाि प्रापत करिे वािा कोई व्यक्ति (अथवा लिसिे देखिाि प्राप्त की है) और उस देखिाि के लिए लवत्तीय रूप से लिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति (लिसिें पररवार के सदस्य और अलििावक शालिि हैं)।

तित िंग और िसू ी प्रथाएँ

सांगठि दी गई सेवाओं के लिए िरीजों को लियलित रूप से लबि िारी करिे की स्टेटिंट्स के लिए और िरीजों के साथ पत्राचार करिे के लिए सुव्यवक्तस्थत प्रलिया कायि करता है। सांगठि द्वारा प्रदाि की िािे वािी सेवाओं हेतु लकसी िरीज द्वारा िुगताि ि लकए िािे पर सांगठि िुगताि पािे के लिए कारचवाई कर सकता है, लिसिें अन्य बातों के साथ-साथ टेिीफ़ोि, ईिेि, ईिेि, और व्यक्तिगत रूप

से संफ़्क्च करि के प्रयास ि◌ािलि◌ हैं। सांगठि ि◌ायद ही किी ि◌ुगताि◌ पाि◌े केलिए असाि◌ान्य वसूि◌ी कारचवाई, या "ECAs" का इस्तेि◌ाि◌ करता है। हाि◌ा◌ा◌ंलक हारी लवत्तीय
सहायता ि◌ीलत ("FAP") के तहत जरूरतिांद िरीजों के लिए उपिब्ध रहिेवाि◌े व उिके लिए लिदेलित सांगठि केसांसाधि सुलिलित करि के उद्देश्य से सांगठि द्वारा चरि पररक्तस्थलतयों ि◌े◌ं ECAs का इस्तेि◌ाि◌ लकया ि◌ा सकता है, लिसिं, उि चयिात्मक सेवाओं से ि◌ुड़ी अप्रदत्त ि◌ेषरालियों वाि◌े खातों के सांबांध ि◌े◌ं, ि◌ो आपातकाि◌ीि◌ या लचलकत्सकीय रूप से अन्य आवश्यक देखिाि◌ ि◌हीं है, वे पररक्तस्थलतयाँ ि◌ािलि◌ हैं लिि◌ि◌े◌ं लकसी िरीज केपास पयाचप्त
िहत्त्वपूणच सांसाधि हैं (ि◌ैसे लक उच्च लिवि ि◌ालियत) और वह देयरालि चुकाि◌े से इन्कार कर रहा हो, या िहां सांगठि का यह ि◌ाि◌ि◌ा हो लक ि◌ लकए ि◌ाि◌ेवाि◌े ि◌ुगताि◌ ि◌े◌ं इसकी FAP या इस ि◌ीलत की ितों का इरादति दुरुपयोग
ि◌ािलि◌ हो। उि चरि पररक्तस्थलतयों ि◌े◌ं, इस लबलिांग व वसूि◌ी ि◌ीलत ि◌े◌ं लदए प्रावधाि◌ो◌ा◌ं व सीि◌ाओं के अधीि◌, सांगठि एक या अलधक ECAs का इस्तेि◌ाि◌ कर सकता है। सांगठि द्वारा ECAs का इस्तेि◌ाि◌ उि खातों केलिए िहीं लकया
ि◌ाएगा लिि◌ि◌े◌ं, सांगठि की FAP के तहत के वि आांलिक लवत्तीय सहायता हेतु पात्र होि◌े के चिते, या लिर FAP केतहत पूणच लवत्तीय सहायता हेतु पात्र हुए खातों पर सह-ि◌ुगताि◌ करि के सांबांध ि◌े◌ं, रालि ि◌ेष हो। Ascension केसीलियर वाइस प्रेलसडेंट / चीफ़ रे वेन्यू ऑलिसर के पास यह लिधाचररत करि का अांलति अलधकार है लक सांगठि ि◌े लवत्तीय सहायता पात्रता लिधाचररत करि के लिए पयाचप्त प्रयास कर लिए हैं और यह लक ऐसी चरि पररक्तस्थलतयाँ हैं लिि◌ि◌े◌ं सांगठि ECAs को ि◌ाि◌ि◌ा-दर-ि◌ाि◌ि◌ा आधार पर लियोलित कर सकता है।

501(r) के अिुसार, यह लबलिांग व वसूि◌ी ि◌ीलत उि यथोलचत प्रयासों को लचलित करती है, ि◌ो सांगठि को यह लिधाचररत करि के लिए करि चालहए लक कोई िरीज उसके FAP के तहत लवत्तीय सहायता के लिए पात्र है या ि◌ही,ा◌ं अथवा यह लक ECA ि◌े◌ं लियोि◌ि◌ को उलचत ठहराि◌े के लिए चरि पररक्तस्थलतयाँ ि◌ौि◌ूद हों। एक बार यह लिि◌य कर ि◌ेि◌े पर लक एक चरि पररक्तस्थलत है और िरीज FAP के तहत लवत्तीय सहायता के लिए पात्र ि◌हीं है, यहाँ पर वलणचत एक या लधक ECAs केसाथ सांगठि आगे बढ़ सकता है।

1. FAP आवेदि की प्रोसेलसांग। िीचे प्रदत्त िािििोां को छोड़कर िरीज सांगठि से प्राप्त आपातकािीि देखिाि और लचलकत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखिाि के सांबांध िेां किी िी FAP आवेदि िििा कर सकता है। लवत्तीय सहायता के लिए पात्रता के लिधाचरण की प्रलिया लिम्न अिा श्रेलणयों के आधार पर की िाएगी।

a. िरे हुए FAP आवेदि। िरीज द्वारा पूरी तरह िरा हुआ FAP आवेदि िििा करि पर, सांगठि सालियक ढां ग से, लिचे प्रदाि लकए अिुसार देखिाि का िुगताि प्राप्त करि के लिए लकसी िी ECA को स्थलगत कर देगा, इसका पात्रता लिधाचरण करेगा, और िैसा लक िीचे लदया गया है, लिक्तखत सूचिा प्रदाि करेगा।

b. सांिालवत पात्रता लिधाचरण। यलद िरीज को FAP के अांतगचत उपिब्ध सबसे उदार सहायता से कि के लिए प्रकक्तित रूप से पात्र ठहराया िाता है, तो सांगठि ऐसे लिधाचरण के आधार के बारे िेां िरीज को सूलचत करेगा और अलधक उदार सहायता प्रदाि करि हेतु िरीज को यथोलचत सियावलध प्रदाि करेगा।

c. कोई आवेदि प्रस्तुत ि लकए िािे की क्तस्थलत िेां िोलटस और प्रलिया। िब तक िरा हुआ FAP आवदेि प्रस्तुत िहीं लकया िाता अथवा FAP के सांिालवत पात्रता िापदांड के अांतगचत पात्रता लिधाचररत िहीं की िाती, तब तक सांगठि िरीज को देखिाि के लिए पहिी पोस्ट-लडस्चािच लबलिांग स्टेटिेंट िेििे की तारीख से कि से कि 120 लदिों तक ECA िुरू करि से परहेज करेगा। यलद देखिाि के एक से अलधक एलपसोड हैं, तो ये सूचिा प्रावधाि एकत्र लकए िा सकते हैं, लिस क्तस्थलत िेां सिय सीिाएां एकत्रीकरण िेां िालिि की गई देखिाि के लबल्कुि हाि के एलपसोड के आधार पर होंगी। लिस िरीज िे FAP आवेदि प्रस्तुत िहीं लकया है, उससे देखिाि के लिए िुगताि प्राप्त करि के लिए एक (1) अथवा अलधक ECA(s) िुरू करि से पहिे, और यह लिधाचररत करि से पहिे लक चरि पररक्तस्थलतयाँ ECAs के इस्तेिाि को न्यायोलचत ठहराती हैं या िहीं, सांगठि लिम्नलिक्तखत कारचवाईयां करेगा:

i. िरीज को लिक्तखत िोलटस प्रदाि करेगा, लिसिें यह इांलगत हो लक लवत्तीय सहायता पात्र रोलगयों के लिए उपिब्ध है, ECA(s) को लचलित करता है, िो देखिाि के लिए िुगताि प्राप्त करि के इरादे से की िाती हैं, और अांलति लतलथ बताता है, लिसके बाद ऐसे ECA(s) िुरू की िा सकती हैं, िो लिक्तखत िोलटस प्रदाि करि की तारीख के बाद 30 लदि से पहिे िहीं है;

ii. िरीज को सरि िाषा िेां FAP का सार प्रदाि करेगा; और

iii. िरीज को िौक्तखक रूप से FAP और FAP आवेदि प्रलिया के बारे िेां सूलचत करि का उलचत प्रयास करेगा।

d. अधूरे FAP आवेदि। यलद िरीज अधूरा FAP आवेदि प्रस्तुत करता है, तो सांगठि िरीज को FAP आवेदि पूरा िरि के तरीके के बारे िेां लिक्तखत िेां सूलचत करेगा और िरीज को ऐसा करि के लिए तीस (30) कैिेंडर लदिों का सिय देगा। लकसी िी िांलबत ECA को इस सिय के दौराि स्थलगत लकया िाएगा, और लिक्तखत िोलटस (i) FAP अथवा FAP आवेदि के अांतगचत आवश्यक अलतररि िािकारी और/अथवा दस्तावेज का वणचि करेगा, लििकी आवेदि पूरा करि के

लिए आवश्यकता है, तथा (ii) उपयुि संक्रच िािकारी िालिि करेगा।

2. <u>देखिाि को टाििे अथवा इन्कार करि पर सीिाएं</u> । ऐसी क्तस्थलत िेें, िहां सांगठि FAP के अांतगचत िालिि पहिे प्रदाि की गई देखिाि के लिए एक अथवा अलधक लबिों का िरीज द्वारा िुगताि ि लकए िािे के कारण, लचलकत्सीय रूप से आवश्यक देखिाि को टाििा, इन्कार करिा चाहता है , अथवा इसे प्रदाि करि से पहिे िुगताि की िािांग करता है, िैसे लक FAP िेें परररालषत लकया गया है, तो िरीज को FAP आवेदि और यह सूलचत करि वािा लिक्तखत िोलटस प्रदाि लकया िाएगा लक लवत्तीय सहायता पात्र िरीिों केलिए उपिब्ध है।

3. लिधाचरण सूचिा।

a. लिधाचरण। िब िरा हुआ FAP आवेदि केिरीज केखाते पर प्राप्त हो िाता है, तो सांगठि पात्रता लिधाचररत करिे केलिए FAP आवेदि का िूल्ाांकि करेगा और (45) कै िांडर लदिों केअांदर िरीज को अांलति लिधाचरण केबारे िें लिक्तखत िें सूलचत करेगा। सूचिा िें रालि का लिधाचरण िालिि होगा, लिसके लिए िरीज िुगताि करिे हेतु लवत्तीय रूप से लिम्मेदार होगा। यलद FAP केलिए आवेदि अस्वीकृ त हो िाता है, तो अस्वीकृ लत का कारण और अपीि अथवा पुिचलवचार केलिए लिदेि िि करते हुए एक िोलटस िेिा िाएगा।

b. रीफ़ां ड। सांगठि उस रालि का रीफ़ां ड प्रदाि करे गा, लिसका िरीज िे देखिाि के लिए िुगताि लकया है, िो FAP के अांतगचत िुगताि के लिए लििी तौर पर लिम्मेदार होिे के लिए िरीज के लिए लिधाचररत रालि से अलधक है, िब तक वह अलतररि रालि $5.00 से कि ि हो।

c. ECA(s) का व्युत्क्रिण। लिस सीिा तक िरीज को FAP के अांतगचत लवत्तीय सहायता के लिए पात्र लिधाचररत लकया िाता है, सांगठि देखिाि के लिए िुगताि प्राप्त करिे हेतु िरीज के क्तखिाि लिए गए लकसी िी ECA का पररवतचि करिे के लिए सिी उलचत उपाय करे गा। इि उलचत उपिब्ध उपायों िें आितौर पर िालिि हैं, िेलकि इि तक सीलित िहीं हैं, िरीज के क्तखिाि लकसी िी िैसिे को रद्द करिे केउपाय, िरीज की िायदाद पर कोई उगाही अथवा अलधकार को खत्म करिा, और िरीज की िेलडट ररपोटच िें लकसी िी प्रलतकूि िािकारी को हटािा, िो उपिोिा सूचिा एिेंसी अथवा िेलडट लविाग को सूलचत की गई थी।

4. अपीि। िरीज अस्वीकरण की सूचिा के चौदह (14) कै िांडर लदिों के अांदर सांगठि को अलतररि िािकारी प्रदाि करके लवत्तीय सहायता के लिए पात्रता के अस्वीकरण के क्तखिाि अपीि कर सकता है। अांलति लिधाचरण के लिए सांगठि द्वारा सिी अपीिोां की सिीक्षा की िाएगी। यलद अांलति लिणचय लवत्तीय सहायता के लपछिे अस्वीकरण को स्वीकार करता है, तो िरीज को लिक्तखत सूचिा िेिी िाएगी।

5. वसूलियाां। उपरोि प्रलियाओं केलिष्कषच पर (लिसिें यह लिधाचररत करिे केयथोलचत प्रयास िालिि होां लक कोई िरीज लवत्तीय सहायता हेतु उसकी FAP केतहत पात्र है या िहीं)ां तथा सांगठि द्वारा यह लिधाचररत लकए िािे पर लक ECAs के इस्तेिाि को उलचत ठहरािेवािी चरि पररक्तस्थलतयाँ िौिूद हैं, सांगठि द्वारा अपचारी खातों वािे ग़ैर-बीिाकृ त व अिबीिाकृ त िरीजों केसिक्ष ECAs केसाथ कायचवाही कर सकता है, िैसा लक िरीजों के लबि व िुगताि योििाएँ स्थालपत करिे, प्रोसेस करिे, व उिकी लिगरािे करिे हेतु सांगठि की प्रलियाओं िें लिधाचररत है। यहां लचलित सीिाओं के अधीि, सांगठि अप्राप्य ऋण खातों को प्रोसेस करिे केलिए लकसी प्रलतलित बाहरी अप्राप्य ऋण वसूिी एिेंसी अथवा अन्य सेवा प्रदाता का उपयोग कर सकता है, और वे एिेंलसयां अथवा सेवा प्रदाता तृतीय पक्षों केलिए िागू 501(r) के

प्रावधािोंां का पािि करेंगे।